

Foot Note : Principal Regulation – Chennai Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 17(E), dated 7th January 2009

- (i) First amendment Regulations *vide* MoS notification G.S.R. No. 834(E) dated the 22nd November, 2011.
- (ii) MOS’s notification G.S.R. No. 674(E), dated 25th September 2013.
- (iii) MOS’s notification G.S.R. No. 504 (E), dated 13th June 2015
- (iv) MOS’s notification G.S.R. No. 631(E), dated 14th August 2015
- (v) MOS’s notification G.S.R. No. 36 (E), dated 15th January 2016
- (vi) MOS’s notification G.S.R. No. 601(E), dated 15th June 2016
- (vii) MOS’s notification G.S.R. No. 641(E), dated 30th June 2016
- (viii) MOS’s notification G.S.R. No. 1187(E), dated 30th December 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 306(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 की 38) की धारा 124 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 132 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट के लिये न्यासीमण्डल द्वारा बनाये गये कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदन करती है एवं इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है।

2. उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं उक्त अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ कोचिन पोर्ट के न्यासीमण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) इन विनियमों को “कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017” कहा जा सकता है।
- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 में विनियम 3 ‘परिभाषा’ के अंतर्गत ‘नियमित सेवा’ की परिभाषा को क्रम संख्या (द) में निम्न प्रकार से शामिल किया जायेगा:

“(द) किसी ग्रेड के संबंध में “नियमित सेवा” का अर्थ है उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित पध्दति के अनुसार विनियमों के तहत उसपर चयन और नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में की गई सेवा की अवधि या अवधियां तथा इसमें निम्नलिखित अवधि या अवधियां शामिल हैं—

- (i) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को जो पहले से सेवा में हैं के मामले में वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी।
- (ii) जिस दौरान किसी कर्मचारी ने उस ग्रेड में कोई पद धारित किया होता परन्तु छुट्टी पर रहने अथवा अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध न हो।”

[फा. सं. पीआर -12012/9/2016-पीई-1]

प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम सा.का.नि. संख्या 862(अ) दिनांक 28.10.2010 को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्या 849(अ) दिनांक 25.10.2014, सा.का.नि. संख्या 604(अ) दिनांक 31.07.2015, सा.का.नि. संख्या 1126(अ) दिनांक 09.12.2016 एवं सा.का.नि. संख्या 1151(अ) दिनांक 16.12.2016

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 306(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017, made by the Board of Trustees for the port of Cochin as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion)

Amendment Regulations, 2017

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Cochin Port hereby makes the following Regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017;

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, under Regulation 3, below clause (q), the following shall be added as clause (r):

“(r) ‘Regular Service’ in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods:

(i) Taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of regulations;

(ii) During which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.”

[F. No. PR-12012/9/2016-PE-1]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy

Foot Note: Principal Regulations published *vide* G.S.R. No. 862(E) dated 28.10.2010, Subsequently amended *vide* G.S.R. No. 849(E), dated 25.10.2014, G.S.R. No. 604(E), dated 31.07.2015. G.S.R. No. 1126(E), dated 9.12.2016 and G.S.R. No. 1151(E), dated 16/12/2016.